R.O. 175

प्रभारी एजेन्सी
[signature] 5-2-18

Received 12.2.18

सेवा में,

कुलसचिव

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद

विषय - राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का सामान्य परिचय विश्व-विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के कार्यालय विश्वविद्यालय में संचालित है। राष्ट्रीय सेवा योजना का सामान्य परिचय अधिक से अधिक महाविद्यालय जा सकें। उपरोक्त सामान्य परिचय की विवरणिका ~~NSS~~ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लोड कराने की कृपा करें। राष्ट्रीय सेवा योजना की वेबसाइट नहीं है।

[signature]
(डॉ. जय कुमार मेहता)
कार्यालय समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना
National Service Scheme

मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय सेवा योजना गीत

लक्ष्य गीत

उठे समाज के लिए उठे–उठे।
जगें स्वराष्ट्र के लिए जरों–जगें।
स्वयं सजे, वसुन्धरा संवार दें–2
हम उठे, उठेगा जग हमारे संग साथियों
हम बढ़े तो सब बढ़ेगें अपने साथ साथियों
जमी पे आसमान को उतार दें–1
स्वयं सजे वसुन्धरा संवार दें–1
उठे समाज के लिएं उठे–उठे।
जगें स्वराष्ट्र के लिए जगे–जगें
उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले
गांव और शहर की दूरियों को पाटते चलें
ज्ञान को प्रचार में प्रसार दें।
विज्ञान को प्रचार में प्रसार दें।
स्वयं सजे वसुन्धरा संवार दें–1
उठें समाज के लिए उठे–उठे
जगें स्वराष्ट्र के लिए जगें–जगें
समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहें सदा
हरे भरे वनों की शाल ओढ़ती रहे धरा
तरक्कियों की एक नई कतार दें–2
स्वयं सजे वसुन्धरा संवार दें–2
उठे समाज के लिए उठे–उठे।
जगें स्वराष्ट्र के लिए जगें–जों
ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की
बढ़ाए बेल प्रेम की अखण्डता की चाह की
भावना से ये चमन जिवार दें।
सद्भावना से ये चमन निखार दें–2
स्वयं सजे वसुन्धरा संवार दें
उठे समाज के लिए उठें–उठे।
जगे स्वराष्ट्र के लिए जरों–जों
स्वयं सजे वसुन्धरा संवार दें–2

सत्यमेव जयते

राष्ट्र सेवा के लिए शपथ

1. हम भारत को एक विकसित देश बनाने में सहयोग देंगे।
2. हम आदर्श नागरिक बनकर देशवासियों को अनुशासित नागरिक बनाने में सहायता करेंगे।
3. हम अपने घर को सदाचारपूर्ण बनाने, वातावरण को स्वच्छ रखने और पढ़ाई में और अपने कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभियान चलायेंगे।
4. समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय सहित देश में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे और महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाएंगे।
5. ज्ञान और उच्च नैतिक मूल्यों द्वारा समाज से भ्रष्टाचार दूर करेंगे।
6. हम राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम द्वारा देश को मजबूत बनाएंगे।
7. हम लोगों को कानून का पालन करने वाला नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेंगे।
8. हम वनों की कटाई रोकेंगे और पर्यावरण की रक्षा के लिए नए पेड़ लगाएंगे।

यह शपथ राष्ट्रीय सेवा योजना गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने आये शिविरार्थियों को 28 जनवरी, 2005 को राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा दिलाई गई।

सभी स्वयंसेवकों को यह शपथ दिलायी जाय।

राष्ट्रीय सेवा योजना गीत

संकल्प गीत

होगें कामयाब, होगें कामयाब,
हम होगें कामयाब, एक दिन।
ओ। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होगें कामयाब, एक दिन।।

हम चलेगें साथ–साथ, होगें हाथों में हाथ,
हम चलेगें साथ–साथ, एक दिन।
ओ! मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होगें कामयाब, एक दिन ।।

होगी शान्ति चारों ओर, होगी शान्ति चारों
ओ, होगी शान्ति चारों ओर, एक दिन।
ओ। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होगें कामयाब, एक दिन ।।

सत् से होंगे आजाद, सत् से होगें आजाद,
सत् से होंगे आजाद, एक दिन।
ओ! मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होगें कामयाब, एक दिन।।

हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज,
हमें डर नहीं है आज के दिन।
ओ। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होगें कामयाब, एक दिन।।

राष्ट्रीय सेवा योजना

National Service Sceme

मार्गदर्शिक

अंशू माली शर्मा

विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

विधान भवन लखनऊ – 226001

कार्यक्रम अधिकारियों से निवेदन

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा के तृतीय आयाम के रूप में मान्यता प्राप्त है। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है। जिससे वे समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं। तथा उनकी संवेदना इस ओर प्रवृत्त होती है। समस्याओं के प्रति छात्रों की संवेदनशीलता उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाती है और यही राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का मूल है।

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की विशेषता इसकी स्वायत्ता है। कार्यक्रम की योजना कार्यक्रम अधिकारी के विवेक एवं कल्पना पर निर्भर करती है। कार्यक्रम अधिकारी यदि अपने परिवेश और क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक है तो वह अवश्य ही उपयोगी कार्यक्रम तैयार कर सकता है कार्यक्रमों की तैयारी करते समय कार्यक्रम अधिकारी को इकाई के प्रत्येक छात्र की क्षमता के अनुरूप कार्य का निर्धारण करना चाहिए । मात्र प्रमाण–पत्र प्राप्ति के लिए योजना कार्य संचालन न किये जायें। यह भी ध्यान में रखा जाय कि छात्र को श्रमिक की भाँति किसी कार्य में लगा देना योजना का उद्देश्य नहीं है। प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारम्भ करने के पूर्व स्वयंसेवकों को उसका प्रयोजन स्पष्ट करना चाहिए। कार्यक्रम की सार्थकता का ज्ञान होने पर छात्र उसमें रूचि पूर्वक भाग लेता है तथा उसमें कार्य के प्रति अनुराग भी जाग्रत होता है।

कार्यक्रम और उपलब्धियों का समुचित प्रचार एवं प्रकाशन भी आवश्यक है यदि कतिपय छात्रों की उदण्डता के प्रचार से समस्त छात्रों, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो सकती है तो छात्रों के बड़े समूह के रचनात्मक कार्यों के प्रचार से वह उज्जवल भी बनायी जा सकती है। कार्यक्रमों के प्रसंग में कभी–कभी रोचक एवं मर्मस्पर्शी अनुभव भी होते है। ऐसे अनुभव एवं सफलता की गाथाएँ अन्य छात्रों के लिए प्रेरक हो सकते है अतः इस प्रकार के अनुभवों से अपने उच्चाधिकारियों को भी अवगत करायें।

कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि सत्रारम्भ में ही पूरे वर्ष के लिए एक कार्य योजना बनायी जाये जिसे महाविद्यालय की सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। विचारोपरान्त इसमें संशोधन भी किये जा सकते हैं। कार्यक्रम को दो भागों में बाँट सकते हैं :–

– महाविद्यालय में किये जाने वाले कार्य
– अभिग्रहीत बस्तीध्ग्राम में किये जाने वाले कार्य

चयनित ग्राम/ बस्ती में किये जाने वाले कार्यक्रमों में कतिपय कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए जो वर्ष पर्यन्त चलते रहें। चयनित स्थल महाविद्यालय से अधिक दूर नहीं होना चाहिए जिससे स्वयंसेवक सुगमता पूर्वक वहाँ जा सके। साक्षरता, स्वच्छता, टीकाकरण, वृक्षारोपण एवं मतदान जागरूकता जैसे कार्यक्रमों से चयनित ग्राम/बस्ती के निवासियों को योजना से जोड़ा जा सकता है। बस्ती/ग्राम का सर्वेक्षण भी कार्यारम्भ से पूर्व अवश्य कर लेना चाहिए। सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित एवं शोध लेख भी कार्यक्रम अधिकारी कर सकते हैं।

महाविद्यालय परिसर के कार्यक्रमों में परिसर की स्वच्छता एवं सौन्दर्य के कार्यक्रमों के साथ–साथ विभिन्न विषयों पर गोष्ठी तथा शैक्षिक प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन पर बल दिया जाय। छात्र जब परिसर की स्वच्छता करता है तो वह वास्तव में परिसर से जुड़ता है और उसे गन्दा करने से पूर्व कई बार सोचता है फलस्वरूप परिसर शनैः–शनैः स्वच्छ दिखने लगता है। विभिन्न विषयों की गोष्ठियों में विद्वतजनों को सुनकर स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारी भी अपने ज्ञान के स्तर को उन्नत करते है। औपचारिक अध्ययन से जहाँ छात्रों को कतिपय विषयों का ज्ञान प्राप्त कर, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर डिग्री प्राप्त करते है वहीं योजना से जुडकर छात्र पूरे परिवेश की जानकारी एवं कार्यक्रमों के संचालन द्वारा अपने नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सक्षम नागरिक बनते हैं।

कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम मात्र सेवा कार्य नहीं है यह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करते हुए स्वयं तथा स्वयं से जुड़े हुए विद्यार्थियों को पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कार्य भी नहीं है यह तो अपनी रचनाधर्मिता को धरातल पर उतारकर अपने परिवेश से जुडे सभी व्यक्तियों को आनन्द प्रदान की प्रक्रिया है। कार्यक्रमों का संचालन करके छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत होती है और वे परिपक्व होकर सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार धीरे–धीरे सक्षम नागरिकों का एक विशाल समूह तैयार कर हम एक महान कार्य का अंग बनकर गौरवान्वित होते हैं।

कृपया मार्गदर्शिका की समस्त व्यवस्थाओं को इसी भाव से समझने का प्रयास करें।

(डॉ0 उपेन्द्र कुमार सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना

विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का चिंतन महात्मा गांधी व स्वामी विवेकानन्द के विचारों से अनुप्राणित है। महात्मा गांधी का चिन्तन था कि यदि देश का शिक्षित युवा वर्ग अपनी शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ–साथ समाज सेवा के भी कार्य करें तो प्रत्येक देशवासी एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होते हुए अटूट बंधन में बंध जायेंगे। उनका मत था कि छात्र जीवन न केवल बौद्धिक विकास का समय है बल्कि भावी जीवन के निर्माण का भी समय है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही ऐसी किसी योजना के लागू किये जाने की संभावना पर विचार प्रारम्भ हो गया जिससे छात्रों में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति समर्पण तथा सहानुभूति के भाव उत्पन्न हो सकें तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग समाजोपयोगी कार्यक्रमों में हो सके। सर्वप्रथम, प्रथम शिक्षा आयोग ने सन् 1950 में छात्रों द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्र सेवा की संस्तुति की थी। सन् 1958 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस उद्देश्य से लिखे पत्र, 1959 में डा.सी.डी. देशमुख की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशें, सन् 1966 में कोठारी आयोग की संस्तुति, 1967 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक तथा 1967 में ही उप–कुलपतियों की बैठक एवं 1969 में शिक्षा मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक जैसे चरणों से होते हुए अंततः 24 सितम्बर 1969 को गांधी शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना देश के 37 विश्वविद्यालयों में 40,000 छात्र संख्या के साथ प्रारम्भ हुयी थी।

वर्तमान वर्ष (2013–14) में इस योजना के अन्तर्गत पूरे देश में लगभग 32,00,000 छात्र, जो कि देश के 299 विश्वविद्यालयों एवं 42 माध्यमिक (2) स्तर के शिक्षा मण्डलों से सम्बन्धित है, इस योजना से आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश में 22 विश्वविद्यालयों, 12 माध्यमिक शिक्षा मण्डल व 03 प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित कुल 2,63,700 छात्र इस योजना के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना का सामान्य परिचय

1. सिद्धान्त वाक्य (Nss-Motto)

'मैं नहीं आप' 'NOT ME BUT YOU' रा.से.यो. का सिद्धान्त वाक्य है। मैं नहीं आप प्रजातांत्रिक ढंग से रहने का सार बताता है तथा निरूस्वार्थ सेवा की आवश्यकता का समर्थन करता है। यह बताता है कि हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की सराहना

वाले बने तथा सभी मनुष्यों के लिए सहानुभूति रखें। यह घोषित करता है कि व्यक्ति का कल्याण, सम्पूर्ण समाज के कल्याण पर निर्भर है।

2. प्रतीक चिन्ह (Nss-Logo)

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिह्न उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मन्दिर के रथ चक्र पर आधारित है। सूर्य मन्दिर के ये विशाल चक्र सृजन, संरक्षण, और निर्मुक्ति के आवर्तन को अभिव्यक्त करते हैं तथा काल और स्थान से परे जीवन में गति का महत्व बताते हैं। प्रतीक का अभिकल्प सूर्य रथ के चक्र का सरलीकृत रूप है जो मुख्यतः गति को दर्शाता है। चक्र जीवन के प्रगतिशील चक्र को व्यक्त करता है। यह निरन्तरता का और साथ ही परिवर्तन का भी प्रतीक है और रा.से.यो. को समाज में परिवर्तन लाने और उसे व्यक्त करने के लिए निरन्तर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने का द्योतक है।

3. बैज (NSS-Badge)

रा.से.यो. का प्रतीक चिह्न रा.से.यो. के बैज पर उत्कीर्ण है। रा. से.यो. के स्वयंसेवक समाज की सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए उसे लगाते हैं। कोणार्क के सूर्य मन्दिर के रथ में 24 पहिये है जो सम्पूर्ण दिन के 24 घण्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक पहिये में 8 तीलियाँ है जो 8 प्रहर दर्शाती है। इसलिये जो व्यक्ति इस बैज को धारण करता है उसे यह बैज याद दिलाता है कि वह राष्ट्र सेवा के लिये दिन–रात अर्थात् 24 घण्टे (आठो पहर) तत्पर रहे। बैज में जो लाल रंग है वह रक्त का प्रतीक है, जो इस बात का संकेत करता है कि रा.से. यो. के स्वयं सेवकों में पूरा उत्साह है और वे जीवन्त हैं, सक्रिय हैं और उनमें स्फूर्ति है। गहरी नीला रंग उस ब्रह्माण्ड की ओर संकेत करता है जिसका रा.से.यो. एक छोटा सा अंश है और जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिये अपना अंशदान करने को तैयार है। सफेद रंग शांति का द्योतक है जिसका अर्थ है राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक बिना विवाद किये अपने कार्य में सदैव तत्पर्य रहता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य

'सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास'

सहायक उद्देश्य

1. लोगों के साथ मिलकर कार्य करना।
2. स्वयं को रचनात्मक सामाजिक एवं सृजनात्मक कार्यों में प्रवृत्त करना।
3. स्वयं तथा समुदाय की ज्ञान वृद्धि करना।
4. समस्याओं को हल करने में स्वयं की प्रतिभा का व्यावहारिक उपयोग करना।
5. प्रजातांत्रिक नेतृत्व को क्रियान्वित करने में दक्षता प्रदान करना।
6. स्वयं को रोजगार योग्य बनाने के लिये कार्यक्रम विकास में दक्षता प्रदान करना।
7. शिक्षित और अशिक्षितों के बीच की दूरी को मिटाना।
8. समुदाय के कमजोर वर्ग की सेवा के लिये स्वयं में इच्छा जाग्रत करना।

5. राष्ट्रीय सेवा योजना की थीम (विषय–वस्तु)

प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम किसी थीम के आधार पर चलाये जाते हैं। विगत वर्षों में 'अकाल के लिए युवा', 'स्वच्छता के लिये युवा', 'जल संरक्षण के लिए युवा', 'ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए युवा' आदि विषयों पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा थीम निर्धारित की गई थी। सत्र 2012–13 में 'कौशल विकास के लिए युवा' थीम निर्धारित की गई है। योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत कतिपय कार्यक्रमों का संचालन उस वर्ष के लिए घोषित थीम के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

6. स्वयंसेवक के लिये विचारणीय बिन्दु

- राष्ट्रीय सेवा योजना कष्ट तथा त्याग का मार्ग है।
- यह पिकनिक मनाने का साधन नहीं है।
- इसमें सामान्य स्तर का ही खाद्य अथवा पेय उपलब्ध होता है। जातिगत भेदभाव, ऊंच–नीच, साम्प्रदायिकता जैसे भावों को विनष्ट करके एक सहज सामुदायिक

जीवन का सृजन करना ही उसका उद्देश्य है।

- अनुशासन भंग के किसी भी प्रमाण पर स्वयंसेवी को सदस्यता से वंचित कर दिया जायेगा।
- प्रत्येक कार्यक्रम में समय पर स्वयंसेवी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- योजना के अन्तर्गत अध्ययनकाल में निरन्तर दो वर्ष सामाजिक सेवा करना आवश्यक है।
- योजना के अन्तर्गत सम्पादित किये गये समस्त कार्यों को दैनिकी में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित अवधि तक कार्य पूरा न करने पर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र देय न होगा।

7. स्वयंसेवियों के लिये आचार संहिता

1. सभी स्वयंसेवी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नामित किये गये समूह के नेता के मार्ग दर्शन में कार्य करेंगे।
2. वे अपने समूह/समाज के नेतृत्व के विश्वासभाजन और सहयोगी बनने के अनुकूल बनायेंगे।
3. वे इस बात की अत्यधिक सावधानी रखेंगे कि किसी विवादास्पद विषय में संलग्न न हों।
4. वे डायरी के पृष्ठों में अपनी दैनिक गतिविधियों/ अनुभवों का रिकार्ड रखेंगे और उसे आवधिक मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिये समूह के नेता/कार्यक्रमाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रत्येक स्वयंसेवी राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य करते समय बैज अनिवार्यतः लगायेगा।

8. वित्त पोषण एवं संगठनात्मक ढांचा

योजना का वित्त पोषण भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 7:5 के अनुपात में वार्षिक आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्रीय पुरोनिधारित योजना है जो निम्नलिखित ढांचे के अन्तर्गत संचालित की जा रही है:–

संगठनात्मक ढांचा

भारत सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेत्र मंत्रालय
कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ

प्रमुख कार्यः— राष्ट्रीय नीति निर्धारण, नियोजन व मूल्यांकन

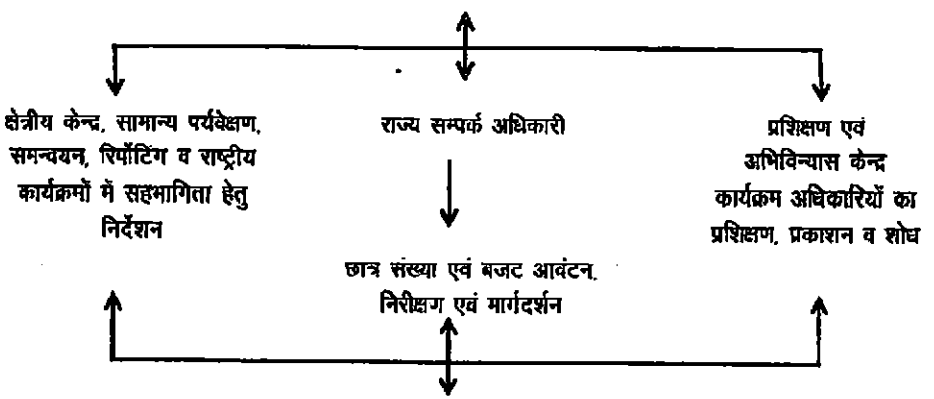

9. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों/गतिविधियों का उद्देश्य

सहभागिता, सेवा, सफलता एवं नेतृत्व विकास राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के मूलभूत तत्व हैं। इन मूल तत्वों की प्राप्ति के उद्देश्य से योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिएः—

1. अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती की विभिन्न समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराकर छात्रों को उन समस्याओं के हल करने में उनकी प्रतिभा के प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय, जिससे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो।
2. समुदाय के आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर के उन्नयन के सम्बन्ध में स्वयंसेवकों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करना सीखना।

3. छात्रों व अन्य लोगों को मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु उन्हें योजना संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के उत्तरदायित्व सौंपना ।
4. श्रम तथा स्वयं कर्म करने के महत्व को स्थापित करना।
5. राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करने के लिए नवयुवकों को प्रोत्साहित करना।

इसके साथ ही प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को युवकों में अनुशासन, चरित्र निर्माण, शारीरिक स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

10. इकाई एवं कार्यक्रमाधिकारी

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों का संचालन इकाईवार किया जाता है, जिसके अंतर्गत 100/50 छात्रों की एक इकाई का गठन किया जाता है, इस इकाई को महाविद्यालयध्विद्यालय के किसी शिक्षक द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, जिसे कार्यक्रमाधिकारी कहा जाता है। कार्यक्रमाधिकारियों द्वारा इकाई के लिए स्वयंसेवकों का चयन, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन का कार्य किया जाता है तथा योजना संबंधी समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाता है। सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यक्रमाधिकारी की भूमिका विद्यार्थियों के मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में होती है।

11. नियमित एवं विशेष शिविर कार्यक्रम का संचालन

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत छात्र—छात्राओं को 02 वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष 120 घंटे का नियमित कार्यक्रम तथा एक 07 दिवसीय (दिन—रात) विशेष शिविर कार्यक्रम में भाग लेना होता है। साथ ही उत्साही स्वयंसेवकों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों यथा पूर्व गणतंत्र दिवस परेड कैम्प, गणतंत्र दिवस परेड कैम्प, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, मेगा कैम्प एवं विभिन्न साहसिक शिविरों में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त होता है। कार्यक्रम अधिकारियों को भी इन विभिन्न शिविरों में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होता है।

(अ) नियमित कार्यक्रम–नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 120 घंटे की गतिविधियों का विभाजन निम्नवत् होगा

(1) ओरियन्टेशन–20 घंटे– इस अवधि को पुनः निम्नवत् होगा–विभाजित किया गया है

(अ) स्वयंसेवकों को योजना के सामान्य परिचय हेतु 02 घण्टे।
(ब) समुदाय का परिचय एवं उनकी समस्याओं पर चर्चा, क्षेत्र विशेष में संचालित राजकीय योजनाओं का परिचय–08 घण्टे इस अवधि में छात्रों को अपने परिवेश की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
(स) ओरियन्टेशन के तृतीय चरण हेतु 10 घण्टे का कार्यक्रम, इसके अन्तर्गत स्वयंसेवकों को निम्न के लिए प्रोत्साहित किया जाय–

1. अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती के लोगों से सम्पर्क बनाना।
2. अभिग्रहीत समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं एवं संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना।
3. समस्याओं के समाधान संबंधी कौशल प्राप्त करना।
4. स्वयंसेवकों को अपने क्रियाकलापों को डायरी में भरना सीखना।

(2) कैम्पस कार्य–अवधि 30 घंटे

नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत यह अवधि कैम्पस गतिविधियों के लिए आरक्षित है, इसके अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर गोष्ठी आयोजन, शैक्षणिक/सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं यथा निबन्ध, गीत, नाटक, क्विज, पोस्टर स्लोगन, वाद–विवाद, भाषण का आयोजन किया जाय। साथ ही कैम्पस की सफाई व परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना पार्क/रासेफयो० के अन्तर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न दिवसों/अवसरों के कार्यक्रम भी इसके अन्तर्गत शामिल किये जा सकते हैं।

(3) सामुदायिक कार्य – 70 घण्टे

इस अवधि में अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती में तथा परिसर के बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। प्रमुख रूप से 04 एक दिवसीय शिविर 08 घण्टे की अवधि के अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती में इसके अन्तर्गत लगाये जायेंगे

- प्रथम एक दिवसीय शिविर में अभिग्रहीत समुदाय का परिचय, सर्वेक्षण, क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी एवं उनके समाधान के उपायों पर चर्चा।
- द्वितीय एक दिवसीय शिविर में कतिपय समस्याओं के समाधान के प्रयास व स्वच्छता कार्यक्रम बस्तीध्याम में चलाया जाय। साथ ही गोष्ठी, नाटक, गीत आदि भी हो।
- तृतीय एक दिवसीय शिविर में उक्त क्रिया पुनः दोहरायी जाय।
- चतुर्थ एक दिवसीय शिविर, विशेष शिविर कार्यक्रम के बाद आयोजित किया जाय, जिसमें वर्षभर के कार्यक्रमों का मूल्यांकन, रिर्पोटिंग व आगामी सत्र की योजनाओं पर चर्चा की जाय।

इसके अतिरिक्त विभिन्न दिवसों पर गोष्ठी एवं जागरूकता रैली का आयोजन, मतदाता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम, गणतन्त्र दिवस परेड हेतु तैयारी, वृद्धजनों की समस्याओं, कूड़ा प्रबन्धन, पल्स पोलियो टीकाकरण एवं साक्षरता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर शेष अवधि में कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।

(ब) विशेष शिविर कार्यक्रम –

प्रत्येक इकाई के 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष 7 दिन के दिवस–रात्रि के विशेष शिविरों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। इस प्रकार दो वर्षों के कार्यकाल में सभी प्रतिभागी विशेष शिविर में भाग लेगें। यह शिविर अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती में आयोजित किया जाता है। विशेष शिविर आयोजन के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी को समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। शिविर अवधि के लिए आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर, भोजन सामग्री, आवश्यक उपकरण तथा आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। बालिकाओं के शिविर में शिविर की सुरक्षा व्यवस्था तथा दैनिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

विशेष शिविर के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

विशेष शिविर का आयोजन सदैव प्रोजेक्ट बनाकर किया जाना चाहिए। शिविर के लिए प्रोजेक्ट/गतिविधियों का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायः–

- क्षेत्रीय आवश्यकतायें ।
- क्षेत्र में उपलब्ध सुविधायें जन–सहभागिता निर्धारित गतिविधियों/प्रोजेक्ट के शिविर अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना।
- नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यक्रमों के विशेष शिविर के कार्यक्रमों के अन्तर्गत फालो–अप के सम्बन्ध में।

व्यक्तित्व विकास

राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थी के श्व्यक्तित्व का विकासश है। अतः विशेष शिविर की गतिविधियों का भी मूल उद्देश्य व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक कार्य, नेतृत्व क्षमता का विकास, सम्प्रेषण कौशल एवं सृजनात्मक क्षमताओं का विकास, विशेष शिविर का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

शिविर प्रबन्धन

शिविर का संचालन विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से होना चाहिए । साथ ही समयबद्धता एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाय। विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रत्येक स्वयंसेवक को कुछ न कुछ दायित्व अवश्य दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित समितियों का गठन विशेष शिविर के संचालन हेतु किया जा सकता ळे

- भोजन समिति
- कार्यक्रम समिति
- प्रोजेक्ट समिति
- रिपोर्टिंग समिति
- सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति
- सामान्य अनुशासन समिति
- स्वागत समिति

12. राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्ययोजना मासिक आधार पर

मासिक आधार पर

माह	—	गतिविधियां
जुलाई	–	वन महोत्सव सप्ताह– वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन एवं गोष्ठी (यह गत वर्ष के स्वयं सेवकों द्वारा कराया जाय)
अगस्त–सितम्बर	–	रा.से.यो. के अन्तर्गत विद्यार्थियों का नामांकन,सलाहकार समिति का गठन 20 अगस्त को सद्भावना दिवस का आयोजन तथा 24 सितम्बर को रा.से.यो. दिवस के आयोजन के साथ नियमित कार्यक्रमों का प्रारम्भ
अक्टूबर	–	नियमित कार्यक्रमों का आयोजन। 02 अक्टूबर को गाँधी जयन्ती का आयोजन। महाविद्यालय द्वारा रा.से.यो. के विद्यार्थियों की पंजीयन सूची व निवेश पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना।। अभिग्रहीत ग्राम में एक दिवसीय शिविर का आयोजन एवं सर्वेक्षण कार्य।
नवम्बर	–	नवम्बर को बाल दिवस तथा 19 नवम्बर को मातृ दिवस का आयोजन। 19 से 25 नवम्बर तक कौमी एकता सप्ताह के अन्तर्गत विविध कार्यक्रम।
दिसम्बर	–	10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविरों का आयोजन।
जनवरी	–	विशेष शिविरों तथा 12 से 19 जनवरी के मध्य युवा सप्ताह के अन्तर्गत विविध कार्यक्रम तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन।
फरवरी–मार्च	–	अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नियमित कार्यक्रमों का आयोजन
अप्रैल	–	महाविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित व्यय विवरण, वार्षिक आख्या व अन्य रिपोर्ट विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना।
मई–जून	–	साक्षरता पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन। (ब) राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई का न्यूनतम वार्षिक

(ब) राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई का न्यूनतम वार्षिक लक्ष्यः

1. अभिग्रहीत क्षेत्रग्राम में 100 पौधों का रोपण तथा गतवर्षों में रोपित पौधों का संरक्षणं
2. अभिग्रहीत क्षेत्र/ग्राम का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण।
3. अभिग्रहीत क्षेत्र/ग्राम में 50 निरक्षरों को साक्षर बनाना साथ ही ग्राम के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय जाने के लिये प्रेरित करना और उन्हें प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
4. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के 5 कार्यक्रमों का अयोजन।
5. महाविद्यालय में वाद–विवाद, निबन्ध, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक एवं मतदाता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों के कम से कम 10 आयोजन।
6. अभिग्रहीत क्षेत्र/ग्राम में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन।

13. कार्यक्रमाधिकारी की भूमिका

मार्गदर्शक के रूप मेंः–

- अपने अधीन इकाई के स्वयं सेवकों का उचित मार्गदर्शन करना, उन्हें आवश्यक निर्देश देना।

शिक्षक के रूप में : –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
- समाज सेवा की अवधारणा से संबंधित परिचर्चा करना।

योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपेक्षित तकनीकों एवं दक्षताओं का ज्ञान करना।

i. सड़कों का निर्माण व उनकी मरम्मत, ग्राम की गलियों, नालियों को साफ करना और वातावरण को स्वच्छ बनाना।

ii. ग्राम के तालाबों और कुओं की सफाई ।

iii. वृक्षों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

iv. वृक्षारोपण, उनकी सुरक्षा और देख–रेख ।

v. वृक्षारोपण से पहले के कार्य।

vi. पार्कों का निर्माण करना और उनका अभिविन्यास ।

vii. गंदी बस्तियों की सफाई।

समन्वयक के रूप में :–

- छात्रों की योग्यता के अनुरूप उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपना ।
- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिभागी छात्र/छात्राओं तथा महाविद्यालय के संसाधनों में समन्वय स्थापित करना।

प्रशासक के रूप मेंः

- ❖ प्राचार्य, परामर्शदात्री समिति तथा समन्वयक को रा.से.यो. की गतिविधियों से अवगत कराना।
- ❖ इकाई की दैनंदिन गतिविधियों का संचालन व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
- ❖ पत्राचार नियमित रूप से करना।
- ❖ छात्रों की सहभागिता के रिकार्ड तैयार करना।

14. सलाहकार परिषद का गठन

प्रत्येक महाविद्यालय में रा.से.यो. से सम्बन्धित विषयों पर विचार व निर्णय लेने के लिये संस्था स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन सितम्बर माह में किया जाना चाहिये। जो निम्न प्रकार होगा

1	प्राचार्य	अध्यक्ष
2	2 वरिष्ठ प्राध्यापक	सदस्य
3	चयनित ग्राम का प्रधान/प्रतिनिधि	सदस्य
4	रासेयो0 के 2 स्वयं सेवक	सदस्य
5	विकास विभाग/ब्लाक का प्रतिनिधि	सदस्य
6	रा.से.यो. के कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त समिति की प्रथम बैठक प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह के द्वितीय सप्ताह तक आयोजित कर लेनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया जाना चाहिए

1. गत सत्र में किये गये कार्यक्रमों की समीक्षा
2. वर्तमान सत्र के लिए अभिग्रहीत ग्राम का चयन एवं कार्ययोजना का निर्माण
3. योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान पर आधारित बजट का निर्माण
4. महाविद्यालय में योजना के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किये जाने पर विचार
5. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न युवा कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय शिविरों यथा पूर्व गणतन्त्र दिवस परेड, मेगा कैम्प, साहसिक कैम्प, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में सहभागिता पर विचार।

15 महत्वपूर्ण तिथियाँ

महाविद्यालयों/विद्यालयों/पॉलीटेक्निक को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित तिथियों के पूर्व तत्सम्बन्धित सूचनायें अपने वि0वि0/मण्डल को प्रेषित कर देना चाहिय।

1	15 अक्टूबर तक	पंजीकृत छात्रों की सूची, निवेश पत्र व कार्य योजना, अभिग्रहीत ग्राम का नाम एवं पंजीकरण शुल्क ।
2	30 अप्रैल तक	व्यय विवरण एवं वार्षिक आख्या, प्रमाण–पत्र प्रेषण।
3	30 अप्रैल तक	इकाई में वृद्धि का प्रस्ताव।
4	31 जुलाई तक	महाविद्यालय/विद्यालय इकाईयों का आडिट विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर पर कराया जाय।

16. अभिलेख

रा.से.यो. से सम्बन्धित रिकार्ड और लेखे को व्यवस्थित रखने के लिए भारत सरकार व शासकीय आदेशों का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष नये कार्यक्रमाधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दशा में नियमित व विशेष शिविर उपस्थिति रजिस्टर,

नामांकन रजिस्टर, कार्ययोजना रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें कदापि नई न बनाई जाये। इन्हें इस प्रकार बनाया जाये कि वे दस वर्ष तक चलते रहे। भविष्य में उपरोक्त रजिस्टर व लेखा पुस्तकें दस वर्ष से पूर्व परिवर्तित करने की दशा में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। (शासनादेश संख्या–1628/सत्तर रा.से.यो. को 22/97, दिनांक 23.10.1999)

प्रत्येक महाविद्यालय में निम्नलिखित अभिलेखों का रखना आवश्यक है:–

1. छात्र पंजीकरण/नामांकन रजिस्टर
2. सलाहकार परिषद रजिस्टर
3. निवेश फार्म
4. इकाई उपस्थिति रजिस्टर नियमित कार्यक्रम
5. इकाई उपस्थिति रजिस्टर विशेष शिविर कार्यक्रम
6. नियमित कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट रजिस्टर
7. कैश बुक नियमित कार्यक्रम
8. कैश बुक विशेष शिविर कार्यक्रम
9. वाउचर फाइल
10. स्टाक रजिस्टर कनज्यूमेबिल मदें
11. स्टाक रजिस्टर नान कनज्यूमेबिल मदें
12. सामान्य पत्रावली–विश्वविद्यालय से आने व जाने वाले पत्र
13. सामान्य पत्रावली अन्य
14. डिस्पैच रजिस्टर

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत मनाये जाने वाले प्रमुख दिवस एवं कार्यक्रम वन महोत्सव सप्ताह

1	वन महोत्सव सप्ताह	1 जुलाई 7 जुलाई तक	पौधरोपण /जागरूकता स्वतंत्रता दिवस
2	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	गोष्ठी
3	सद्भावना दिवस	20 अगस्त	पौधरोपण/गोष्ठी

4	शिक्षक दिवस	5 सितम्बर	पौधरोपण/गोष्ठी
5	अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितम्बर	साक्षरता रैली
6	रा.से.यो. दिवस	24 सितम्बर	गोष्ठी, रैली
7	राष्ट्रीय रक्तदान दिवस	1 अक्टूबर	रक्त परीक्षण/रक्तदान
8	गाँधी जयन्ती	2 अक्टूबर	कैम्पस स्वच्छता एवं गोष्ठी
9	यातायात नियंत्रण दिवस	24 अक्टूबर	गोष्ठी, जागरूकता रैली
10	बचत दिवस/राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर	गोष्ठी
11	बाल दिवस	14 नवम्बर	स्वास्थ्य मेला एवं विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताएँ
12	राष्ट्रीय एकीकरण दिवस	19 नवम्बर	विचारगोष्ठी, श्रमदान
13	कौमी एकता पखवारा	10 नव. से 25 नव,	गोष्ठी, निबन्ध प्रतियोगिता, पोस्टर, नाटक, सामुदायिक कार्यक्रम
14	एड्स दिवस	1 दिसम्बर	रैली, गोष्ठी
15	मानवाधिकार दिवस	10 दिसम्बर	रैली, गोष्ठी
16	विवेकानन्द जयन्ती	12 जनवरी	निबन्ध पोस्टर प्रतियोगिता
17	राष्ट्रीय युवा सप्ताह	12 से 19 जन.	सेमिनार, नाटक, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता

18	. गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	परेड, झाँकी

18. सत्र एवं बजट की मानक दरें

1. सत्र – राष्ट्रीय सेवा योजना का सत्र वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम का बजट 100 छात्र वाली इकाई पर प्रति छात्र 225/– की दर से 22,500/– होता है, जिसमें से रु0 10 प्रति छात्र डायरी, बैज व प्रमाण–पत्र के लिए रोकते हुए इकाई को विश्वविद्यालय/मण्डल द्वारा प्रति छात्र रु0 215 की दर से कुल से कुल रू0 21,500 प्रति इकाई देय है। विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए 50 छात्रों की इकाई को रू0 450 प्रति छात्र की दर से रू0 22,500 प्रति इकाई देय है।

क्र0सं0	व्यय की मद	100 छात्र संख्या वाली इकाई पर	50 छात्र संख्या वाली इकाई पर
1	अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट आफ पाकेट एलाउन्स	रु0 400/– प्रतिमाह	रु0 250/– प्रतिमाह
2	अंशकालिक लिपिक को मानदेय	रु0 150/– प्रतिमाह	रु0 80/– प्रतिमाह
3	अंशकालिक चपरासी को मानदेय	रु0 100/– प्रतिमाह	रु0 60/– प्रतिमाह
4	नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिग्रहीत ग्राम/मलिन बस्ती में एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु रू0 12/– प्रति शिविर प्रति छात्र की दर से जलपान इत्यादि	रु0 4800/–	रु0 2400/–
5	आवश्यक उपकरणों की खरीद	रू0 2500/–	रू0 1000/–
6	स्टेशनरी/पोस्टेज/डाक्यूमेंटेशन (रिपोर्टिंग आदि) पर	रू0 2500/–	रू0 1000/–

7	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी के बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय पर	रू0 1000/–	रू0 500/–
8	सामान्य कार्यक्रमों के संचालन यथा जनजागरूकता हेतु रैलियों का आयोजन, वृक्षारोपण, रक्तदान तथा विभिन्न दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों (रा.से.यो. दिवस, गांधी जयन्ती, युवा सप्ताह, पर्यावरण दिवस, पलस पोलिया, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों आदि) पर	रू02500/–	रू0 1000/–
9	आनुशंगिक व्ययों हेतु	रू0 400/–	रू0 170/–

राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई में 01 लिपिक व 01 अनुसेवक तथा एक से अधिक इकाईयों की दशा में अधिकतम् 01 लिपिक व 02 अनुसेवक से अधिक सम्बद्ध न किये जाये। लिपिक का यह दायित्व होगा कि वह इकाईवार व्यय–विवरण तैयार कर निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर संस्था (वि0वि0/मण्डल) स्तर पर प्रेषित करेगा। साथ ही संस्था स्तर से मांगी गयी विभिन्न सूचनाओं को भी यथासमय प्रेषित करेगा।

नोट – उपरोक्त व्यय की मदों हेतु निर्धारित धनराशि उक्त मदों पर होने वाली व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा है। उक्त मदों में बचत करके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम संबंधी अन्य मदों में भी धनराशि व्यय की जा सकती है।

19. इकाई प्रभारी की नियुक्ति

जहां 2 या 2 से अधिक इकाइयां होगी ऐसे महाविद्यालयों में समस्त इकाइयों के लिये प्रभारी कार्यक्रमाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। इनकी नियुक्ति सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा की जायेगी, तथा खातों का संचालन ओर विश्वविद्यालय को विभिन्न सूचनाओं, प्रेषण का दायित्व इनका होगा। प्रभारी अनिवार्य रूप से ई0टी0आई0/प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास केन्द्र से प्रशिक्षित होना चाहिये यदि महाविद्यालय में कोई भी प्रशिक्षित कार्यक्रमाधिकारी नहीं है तो वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी कार्यक्रमाधिकारी की नियुक्ति

की जायेगी। इसी प्रकार यदि एक से अधिक कार्यक्रमाधिकारी प्रशिक्षित है। तो वहां भी वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

20. कार्यक्रमाधिकारी की नियुक्ति एवं कार्यकाल

कार्यक्रमाधिकारियों का चयन अधिकतम 3 वर्ष के लिये कार्यक्रम समन्वयक द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य के परामर्श से किया जाता है। जिनका अनुमोदन कुलपति महोदय द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा मण्डलों एवं पॉलीटेक्निक में विद्यालय के प्रधानाचार्य की सहमति तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से कार्यक्रम अधिकारियों का चयन किया जाय। ऐसे कार्यक्रम अधिकारियों को एक वर्ष के भीतर भारत सरकार द्वारा गठित ई0टीवआईव (इम्पैन्ल्ड ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट) से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिये। कार्यक्रमाधिकारियों को एक वर्ष का सेवाकाल विस्तार भी उनके कार्य के आधार पर दिया जा सकता है। किन्तु सेवाकाल विस्तार उन्हीं कार्यक्रमाधिकारियों का होगा जो प्रशिक्षित हो। 4 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक स्थिति में नये कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये।

21. विशेष शिविर से सम्बन्धित सामान्य सूचनायें एवं विशेष शिविर की दिनचर्या

1. विशेष शिविर के स्थान का निश्चय 15 अक्टूबर तक कर लिया जाय (यह चयनित ग्राम में ही होना चाहिये) तथा विशेष शिविर की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व की सूचना भेज दी जाय।
2. विशेष शिविर महाविद्यालय के 8 किमी. के दायरे में ही लगाया जाय।
3. शिविर में प्रतिभागियों को उनके द्वारा लाये जाने वाले और न लाये जाने वाले समानों की सूचना दी जाय।
4. यथा संभव प्रतिभागी का वेश निर्धारित हो तथा उसके पास एक एन.एस.एस.डायरी, बैज व पेन अवश्य हो।
5. शिविर स्थल पर प्रथम दिन मध्यान्ह 12 बजे तक सभी लोग उपस्थित हो जायं तथा शिविर का उद्घाटन 3 बजे तक हो जाय।

6. शिविर स्थल पर राष्ट्रीय सेवा योजना ध्वज फहराया जाय साथ ही महाविद्यालय का बैनर भी लगाया जाय।
7. उद्घाटन में चयनित ग्राम के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय। जिसमें ग्राम प्रधान को आग्रह पूर्वक बुलाया जाय ।
8. उद्घाटन के पश्चात् शिविर परिसर की एक सीमा निर्धारित कर दी जाय। जिसके बाहर छात्र अनुमति लेकर ही जाय।
9. शिविर में प्रतिभागियों की संख्या के 1/7 के आधार पर टोलियां बना ली जाय, प्रत्येक टोली का एक नायक होगा, जिसके नेतृत्व में टोली कार्य करेगी तथा प्रत्येक टोली शिविर के एक दिन के भोजन, स्वच्छता एवं अतिथि सत्कार की व्यवस्था करेगी।
10. शिविर में उपस्थिति टोलीवार और इकाईवार ली जाय ।
11. प्रथम दिन ही सायंकालीन सत्र में दैनिक कार्यक्रम पर चर्चा कर।

ली जाय और एक दैनिक कार्यक्रम बना लिया जाय। सुझाव के लिये दैनिक कार्यक्रम निम्न प्रकार का हो सकता है–

विशेष शिविर का दैनिक कार्यक्रम

जागरण व नित्य क्रिया	5:30 – 6:30
प्रार्थना व व्यायाम	6.30 – 7.00
चाय व नाश्ता	7.00 – 7.30
प्रातःकालीन बैठक (गत दिवस की रिपोर्ट का वाचन एवं समीक्षा, दिवस अध्यक्ष का चयन, रिपोर्टियर का चयन, दिवस कार्यक्रम पर परिचर्चा, उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर)	7:30–8:45
अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती में स्वयंसेवकों का प्रस्थान	9.00 बजे
अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती में श्रमदान, साक्षरता, स्वच्छता एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण/मरम्मत पर आधारित विविध कार्यक्रम	9.30–1.00 बजे
स्नानादि	1.00–1.45 बजे
भोजन	1.45–2.30 बजे

विश्राम	2.30 – 3.00 बजे
भौतिक कार्यक्रम	3:00 – 5:00 बजे
चाय	05.00 – 5.15 बजे
खेलकूद/सामूदायिक सेवा कार्य	5.15 – 6:30 बजे
विभिन्न समितियो/टोली प्रमुखों की बैठक व कार्य मूल्यांकन	06.30–07.00 बजे
सांस्कृतिक कार्यक्रम	07.00–09.00 बजे
उपस्थिति	09.00–09.15 बजे
भोजन	09.15–10.00
रात्रि विश्राम	10.00

1. दैनिक कार्यक्रम प्रत्येक दिन शिविर स्थल पर चस्पा किया जाय।
2. कार्यक्रमाधिकारी व प्रतिभागी एक साथ बैठकर भोजन करें तथा भोजन मंत्र के बाद ही भोजन हो। बौद्धिक कार्यक्रम में वाद–विवाद व गोष्ठी के माध्यम से चर्चा निम्न विषयों पर की जा सकती है– जनसंख्या, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, गांधीवाद, लोकतंत्र एवं मतदान,राजनीति व धर्म, वैश्वीकरण, बेरोजगारी की समस्या आदि।
3. विशेष शिविरों में प्रातःकाल रा.से.यो. गीत (उठे समाज के लिये उठेकृउठे) और अन्तिम सत्र में संकल्प गीत (होगें कामयाब, होगें कामयाब हम होगें कामयाब एक दिन) तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हो।

22. प्रमाण–पत्र एवं आडिट

निर्धारित अवधि तक कार्य करने के पश्चात् प्रत्येक प्रतिभागी को विश्वविद्यालय से प्रमाण–पत्र दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र कार्यक्रमाधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय से सादा प्राप्त कर लिया जाता है। इसे भर कर कार्यक्रमाधिकारी प्रत्येक स्थिति में 30 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में जमा कर दे। जिससे समय से प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी

किया जा सके । प्रमाण–पत्र सावधानी से भरा जाय और उसमें किसी भी दशा में त्रुटि न हो इसका ध्यान रखा जाय, त्रुटि पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। वि0वि0/मण्डल स्तर पर प्रत्येक सत्र का आडिट समय से करा लिया जाय तथा पिछली आडिट आपत्तियों का निराकरण भी विश्वविद्यालयध्मण्डल द्वारा निर्धारित समय सीमा में करा लिया जाय। अन्यथा आगामी सत्र में महाविद्यालय में इकाईयों का आवंटन रोका जा सकता है।

23. राष्ट्रीय सेवा योजना बोर्ड

प्रत्येक महाविद्यालय में रा.से.यो. का बोर्ड अवश्य लगवाया जाय। यह बोर्ड महाविद्यालय गेट के पास ही कहीं उपर्युक्त स्थान पर लगाया जाय। इस बोर्ड में महाविद्यालयधविद्यालय एवं कार्यक्रमाधिकारियों के नाम, चयनित ग्राम, इकाईयों की संख्या तथा सत्र की प्रस्तावित विशिष्ट गतिविधियों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

24. राष्ट्रीय सेवा योजना पार्क

महाविद्यालयों/विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना पार्क भी विकसित किया जा सकता है। यदि स्थान उपलब्ध हो तो परिसर में औषधीय एवं अन्य उपयोगी पौधों का एक पार्क अवश्य विकसित किया जाय।

25. राष्ट्रीय सेवा योजना की वेबसाइट

राष्ट्रीय वेबसाइट–www.nss.nic.in

उत्तर प्रदेश की वेबसाइट– www.upsnss.com

26. राष्ट्रीय सेवा योजना में सुझाई गई गतिविधियों की सूची

4. शिक्षा एवं मनोरंजन :

1. काम चलाऊ अक्षर का ज्ञान कराना।
2. स्कूल छोड़ देने वालों को शिक्षित करना।
3. सांस्कृति गतिविधियां ।
4. युवा क्लबों का गठन, ग्रामीण व देशी खेल का आयोजन।
5. सामाजिक बुराइयों के उनमूलन पर चर्चा।
6. सामुदायिक गायन।
7. जागरूकता लाने के कार्यक्रम।

5. आपातकाल के लिये कार्यक्रम (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा, आग आदि)

1. आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अधिकारियों को मदद पहुँचाना।
2. स्वास्थ्य अधिकारियों को रोगो की रोकथाम के उपाय करने, टीके लगाने, दवाइयां देने और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों में सहायता करना।
3. स्थानीय अधिकारियों को राहत पहुँचाने व बचाने के कार्य में सहायता करना।
4. पुनर्निर्माण के कार्य में स्थानीय लोगों की सहायता करना।
5. दान प्राप्त करना व कपड़े एकत्र करना तथा उन्हें प्रभावित
6. लोगों में बांटना।

6. पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षाः

i. प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और उनकी मरम्मत, सांस्कृतिक विरासत, मन्दिरों की मरम्मत करने के प्रति लोगों को जागरूक बनाना।

1. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषक कार्यक्रमरोगों से बचाने के व्यापक कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रमों में सहयोग।
2. रक्तदान शिविर ।
3. जनसंख्या शिक्षा व परिवार कल्याण
4. रोगियों की मदद
5. अनाथ और वृद्धों की मदद करना।
6. चिकित्सा–समाज सर्वेक्षण कार्यक्रम

1. समाज सेवा के कार्यक्रम

1. महिलाओं के कल्याण संगठनों में काम करना।
2. महिलाओं को बुनाई, सिलाई, कढ़ाई आदि के कार्य में
3. प्रशिक्षण देना।
4. महिलाओं में यह चेतना लाना कि वे अपने अधिकारों का
5. उपयोग किस प्रकार कर सकती है।
6. ग्रामों को अभिग्रहीत करना।
7. सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण करना।
8. लोगों में ग्रामीण विकास के लिये बैंकों की भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करना।

2. पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखना :

1. नदियों की सफाई।
2. पानी का विश्लेषण ।

3. स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर संचालित किये जाने वाले अन्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की मंच व्यवस्था एवं कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी बिन्दु (एजेण्डा)

कार्यक्रमों का संचालन/आयोजन निम्न क्रम में किया जाय–

1. सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पणएवं दीप प्रज्जवलन
2. सरस्वती वन्दना।
3. मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का माल्यार्पण
4. लक्ष्यगीत (उठे समाज के लिए उठे–उठे)
5. स्वागत भाषण एवं अतिथि परिचय
6. स्वागत गीत
7. विषय वस्तु पर उद्‌बोधन– मुख्यवक्ता
7. सांस्कृतिक कार्यक्रम योजना से सम्बन्धित हों)
8. विशिष्ट अतिथि का उद्‌बोधन
9. मुख्य अतिथि का उद्‌बोधन
10. अध्यक्षीय उद्‌बोधन
11. पुरस्कार वितरण/स्मृति चिन्ह प्रस्तुतीकरण
12. धन्यवाद ज्ञापन
13. संकल्प गीत
14. राष्ट्रीय–गान

मंच व्यवस्था –

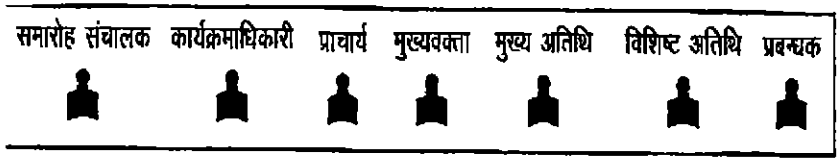

नोट –

1. मुख्य अतिथियों का वरीयता क्रम (उपलब्धता के आधार पर)– कुलपति/राज्य सम्पर्क अधिकारी/कार्यक्रम समन्वयक।
2. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य द्वारा की जाय।
3. मंचासीन अतिथियों के समक्ष पानी, गिलास, सफेद कागज, पेन एवं एजेण्डा अनिवार्यतः रखा जाये।
4. मंच के पीछे राष्ट्रीय सेवा योजना का बैनर, महाविद्यालय के नाम व कार्यक्रम सहित लगाया जाय।
5. कार्यक्रम अवधि सामान्य रूप से 2 घण्टे से अधिक की न रखी जाय।

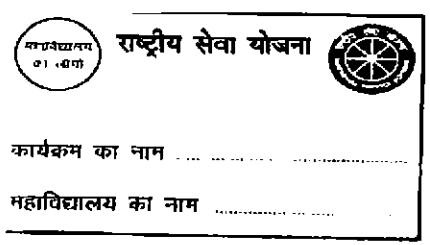

कैरियर संभावनायें
व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ कैरियर भी है।
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रवेश में भारांक

रा.से.यो. प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को बी.एड. परीक्षा में एक कैम्प के लिये 10 अंक तथा दो कैम्प वालों को 15 अंक अधिभार के रूप में दिये जाते हैं।

साक्षात्कार में भारांक

रा.से.यो. प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार के समय वरीयता दी जाती है।

नियुक्तियों में वरीयता

विभिन्न योजनाओं में परियोजना अधिकारी एवं युवाधिकारी के पदों पर राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र धारकों को साक्षात्कार के माध्यम से भी नियुक्ति दी जा सकती है।

पुरस्कार

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार–

प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते है:–

1. विश्वविद्यालय/मण्डल + 2 स्तर पर – जिसमें किसी एक वि. वि. अथवा मण्डल को रू. 02 लाख नकद, शील्ड एवं संबंधित कार्यक्रम समन्वयक को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
2. कार्यक्रम अधिकारी स्तर– इसमें पूरे देश से 10 कार्यक्रम अधिकारियों एवं उनकी इकाइयों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी को रू. 20,000, मेडल । व प्रमाण पत्र तथा संबंधित इकाई को कार्यक्रमों के विकास के लिए रू. 70,000 एवं शील्ड प्रदान की जाती है।
3. स्वयंसेवक स्तर– कुल 30 स्वयंसेवकों को इस श्रेणी में चयनित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक को रू. 15,000, प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रा.से.यो. तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये ष्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि 10,000 रूपये नकद तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार–

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रा.से.यो. तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये ष्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि 10,000 रूपये नकद तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

राज्य पुरस्कार–

विभिन्न राज्यों में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ कार्यक्रम समन्वयकों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय शिविरों में सहभागिता

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के लिए कई प्रकार के राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसमें ऐसे युवाओं को मौका मिलता है जो उत्कृष्ट स्वयं सेवक होते हैं। तथा जिन्हें स्थानीय रा.से.यो. निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति नामित करती है। राष्ट्रीय शिविरों में प्रतिभाग करने वाले युवाओं को निःशुल्क आवास एवं अन्य सुविधायें भारत सरकार मुहैया कराती है। उन्हें इस कार्यक्रम में सहभाग के लिये सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार के लिये आवश्यक अधिकार दिलाते हैं। इस प्रकार के प्रमुख शिविर राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, राष्ट्रीय मेगा कैम्प, एडवेंचर कैम्प आदि के रूप में आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों की अवधि 10 से 15 दिनों की होती है।

गणतंत्र दिवस शिविर

यह इस योजना की अत्यन्त महत्वपूर्ण चोटी है। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों से चयनित छात्रों को स्थानीय निदेशक की चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार में उपस्थित होना होता है। चयन समिति द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं को प्रथम प्रशिक्षण के लिये किसी दूसरे प्रदेश अथवा जहाँ आयोजन हो रहा है, भारत सरकार के खर्चे पर भेजा जाता है। दस दिन के प्रशिक्षण के उपरान्त लम्बाई, परेड, अनुशासन, साक्षात्कार एवं सामान्य कुशलता की परीक्षा के बाद चयनित छात्र–छात्राओं को अखिल भारतीय रा.से.यो. 'गणतंत्र दिवस शिविर में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। चयनित स्वयंसेवकों को राजकीय व्यय पर नई दिल्ली में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित ऐसे समस्त छात्र एवं छात्राओं द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ मार्ग पर परेड करते हुये राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। परेड के पश्चात सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस परेड में प्रत्येक प्रदेश के लिये स्थान निर्धारित रहते हैं। जैसे उ.प्र. एवं उत्तरांचल के लिये 10

स्थान हैं, जिसमें 5 छात्र एवं पाँच छात्रायें शामिल हैं।

पुरस्कारों के सम्बन्ध में अर्हतायें व विवरण

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाते हैं। इनका विवरण पूर्व में दिया जा चुका है।

(अ) राष्ट्रीय सेवा योजना एकक और कार्यक्रम अधिकारियों हेतु विचारणीय बिन्दुः

1. कार्यक्रम अधिकारी एवं रा.से.यो. एकक की कैम्पस एवं समुदाय में सामान्य ख्याति।
2. कार्यक्रम एवं गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी एवं प्राचार्य द्वारा की गयी पहल।
3. महाविद्यालय के अन्य शैक्षिक सदस्यों की रा.से.यो. गतिविधियों में सहभागिता।
4. अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती में किये गये विशिष्ट कार्य।
5. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्वयंसेवकों एवं कार्यक्रम अधिकारी की नियमितता एवं समयबद्धता।
6. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों की विषयवस्तु एवं गुणवत्ता तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कुशलता।
7. स्थानीय विकास एजेंसियों की योजना कार्यक्रमों में सहभागिता ।
8. साक्षरता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान।

अर्हताः–

1. रा.से.यो. इकाई महाविद्यालय में विगत 05 वर्षों से अस्तित्व में हो।
2. 100 छात्रों का एकक हो।
3. महाविद्यालय/विद्यालय में यदि एक से अधिक इकाइयां हैं। तो सभी इकाइयों द्वारा पंजीकरण एवं विशेष शिविर संबंधी लक्ष्य शत–प्रतिशत प्राप्त किये गये हों।

प्रत्येक एकक द्वारा ग्रामध्बस्ती को अभिग्रहीत किया गया हो तथा निरन्तर

गतिविधियों का संचालन संबंधित क्षेत्रों में किया गया हो।

5. एकक द्वारा स्थायी सम्पत्तियाँ एवं उपलब्धियां अर्जित की गयी हों।
6. कार्यक्रम अधिकारी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया हो।
7. कार्यक्रम अधिकारी ई.टी.आई.ध्टी.ओ.सी. से प्रशिक्षित होना चाहिए।
8. जिस एकक को पुरस्कार के लिए चयन किया जायेगा उसी के कार्यक्रम अधिकारी को भी पुरस्कृत किया जायेगा।
9. कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार की सतर्कता जांच अथवा वाद लम्बित न हो।

(ब) एन.एस.एस. स्वयंसेवक स्तर हेतु विचारणीय बिन्दुः–

1. सफल राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक के रूप में संबंधित छात्र/छात्रा की महाविद्यालय एवं अभिग्रहीत समुदाय में ख्याति।
2. रा.से.यो. कार्यक्रमों में विद्यार्थी की नियमितता एवं समयबद्धता।
3. अभिग्रहीत समुदाय की सामाजिक/आर्थिक स्थिति के उन्नयन में विद्यार्थी की गंभीरता, समर्पण एवं संलग्नता का स्तर ।
4. संस्थान में विद्यार्थी का व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता।
5. साक्षरता, पर्यावरण, सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में किये गये उल्लखनीय योगदान।

अर्हताः–

1. स्वयंसेवक द्वारा न्यूनतम 02 वर्ष योजना में पूर्ण कर लिए गये हों।
2. दो विशेष शिविर एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किसी एक राष्ट्रीय शिविर में स्वयंसेवक द्वारा प्रतिभाग किया गया हो।
3. स्वयंसेवक की आयु 16 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, उच्च आयु सीमा में अनु.जाति/जनजाति के अभ्यर्थी को 03 वर्ष का शिथिलीकरण अनुमन्य होगा।
4. स्वयंसेवक द्वारा समुदाय सेवा के 240 घण्टे की अवधि 02 वर्षों में निरन्तरता में पूर्ण कर ली गयी हो।
5. साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया गया।

2.स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार–वि.वि /मण्डल स्तर

वि.वि./मण्डल स्तर पर भी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं। अन्य वि.वि. एवं मण्डल भी इनका अनुसरण कर सकते हैं।

उद्देश्य

कार्यक्रम अधिकारियों तथा राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों की सामुदायिक सेवा में किये गये उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करना तथा सामुदायिक सेवा द्वारा सकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियों और मूल्यों के जरिये उनके व्यक्तित्व के विकास के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं: –

चयन प्रक्रिया

वि.वि./मण्डल स्तर पर पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन निम्नवत् किया जा सकता है :

1. कुलपति/संयुक्त शिक्षा निदेशक	अध्यक्ष
2. छात्र कल्याण के डीन/वरिष्ठ प्रधानाचार्य	सदस्य
3. वि.वि. के 02 आचार्य/प्राचार्य	सदस्य
4. कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो.	सदस्य सचिव

कुल पुरस्कारों की संख्या

पुरस्कारों की संख्या निम्नवत् निर्धारित की जा सकती है :–

1. महाविद्यालय/विद्यालय स्तर	संख्या 02
2. कार्यक्रम अधिकारी	संख्या 02 से 4
3. रा.से.यो. स्वयं सेवक	संख्या 04 से 6

- जिस कार्यक्रम अधिकारी को पुरस्कार हेतु चुना जायेगा, उस महाविद्यालय/विद्यालय के प्राचार्य का सम्मान भी पुरस्कार वितरण समारोह के समय किया जायेगा।
- जिस इकाई के रा.से.यो. स्वयं, सेवक को पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा उस महाविद्यालय के उसी यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी का भी सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह में किया जायेगा।

नोट–सुविधानुसार वि.वि./मण्डल स्तर पर पुरस्कारों के चयन हेतु सलाहकार की बैठक के अवसर पर भी निर्णय लिये जा सकते हैं एवं पुरस्कारों की संख्या में कमीध्वृद्धि भी की जा सकती है।

स्वामी विवेकानन्द पुरस्कारों हेतु मार्गदर्शी रूपरेखा

स्वामी विवेकानन्द पुरस्कारों के लिए इन्दिरा गाँधी पुरस्कारों की भाँति ही मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकते हैं।

3. महाविद्यालय/विद्यालय को पुरस्कृत करने हेतु मानक

महाविद्यालय/विद्यालय को पुरस्कृत करने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार परिवर्तनध्संशोधन किया जा सकता है। प्रत्येक मानक के लिये अंक निर्धारित हैं जो कि अधिकतम 50 है। जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया गया है :–

1. चयनित ग्राम का नाम, नामांकन एवं सूची, निवेश पत्र एवं कार्ययोजना के विश्वविद्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर तक प्रेषण पर 05 अंक
2. त्रैमासिक रिपोर्ट निर्धारित समयान्तराल पर प्रेषित पर 04 अंक
3. सफल विशेष शिविर आयोजन पर–10 अंक तक
4. सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर की उपलब्धियों, फोटोग्राफ, पेपर कटिंग आदि सहित रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्राप्त होने की दशा में–05 अंक
5. सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर की निर्धारित प्रपत्र पर आख्या एवं व्यय विवरण 30 अप्रैल तक प्राप्त होने की दशा में– 05 अंक
6. महाविद्यालय में अभिलेखों के रख–रखाव, रा.से.यो, कक्ष तथा रा. से.यो. बोर्ड की व्यवस्था होने पर–05 अंक
7. यदि महाविद्यालय के सभी रा.से.यो. कार्यक्रमाधिकारी प्रशिक्षित हैं तो–04 अंक
8. 31 जुलाई तक आडिट सम्पन्न करा लेने पर तथा आपत्तियों के निस्तारण कराने पर 2+2–4 अंक

9. रा.से.यो. के अन्तर्गत यदि महाविद्यालय द्वारा कोई स्थायी उपलब्धि जैसे रू श्रमदान से पार्क या जलाशय का निर्माण चयनित गांव में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य प्राप्ति, मतदाता पंजीकरण तथा विभिन्न विश्वविद्यालय स्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने पर–06 अंक
10. योजना की बैठकों में सहभागिता पर–02 अंक

प्रारूप—1

(सम्बद्ध—इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

क्रमांक ______________ प्रथम पर्ण
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कार्यालय हेतु
(विश्वविद्यालय प्रति)

निवेश पत्र

सत्यापित—फोटो ⟶

शैक्षिक सत्र ______________

1. महाविद्यालय का नाम ______________
2. विद्यार्थी का नाम ______________
3. पिता/पति का नाम ______________
4. जन्मतिथि ______________
5. पुरुष/स्त्री ______________
6. जाति (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) ______________
7. कक्षा ______________
8. अल्फा न्यूमेरिक कोड
9. कक्षा में प्रवेश शुल्क की रसीद संख्या व दिनांक ______________
10. मतदाता पहचान पत्र संख्या ______________
11 स्थायी पता ______________
12. पत्राचार हेतु ______________
113 सामाजिक सेवा पूर्व अनुभव यदि कोई हो ______________
14. आधार संख्या ______________ मो०नं० ______________

विद्यार्थी ह०   कार्यक्रमाधिकारी ह० मय मुहर   प्राचार्य ह०मय मुहर

प्रारूप—1

(सम्बद्ध—इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

क्रमांक ______________ द्वितीय पर्ण
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कार्यालय हेतु
(महाविद्यालय प्रति)

निवेश पत्र

सत्यापित—फोटो ⟶

शैक्षिक सत्र ______________

1. महाविद्यालय का नाम ______________
2. विद्यार्थी का नाम ______________
3. पिता/पति का नाम ______________
4. जन्मतिथि ______________
5. पुरुष/स्त्री ______________
6. जाति (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) ______________
7. कक्षा ______________
8. अल्फा न्यूमेरिक कोड
9. कक्षा में प्रवेश शुल्क की रसीद संख्या व दिनांक ______________
10. मतदाता पहचान पत्र संख्या ______________
11 स्थायी पता ______________
12. पत्राचार हेतु ______________
13 सामाजिक सेवा पूर्व अनुभव यदि कोई हो ______________
14. आधार संख्या ______________ मो०नं० ______________

विद्यार्थी ह० मय मुहर   कार्यक्रमाधिकारी ह० मय मुहर   प्राचार्य

नोट—निवेश पत्र का प्रारूप इस प्रकार ही बनावे।

प्रारूप – 2

वित्तीय वर्ष 20___–20___ में राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक रूप से पंजीकृत किये गये छात्र/छात्राओं की सूची:

महाविद्यालय का नाम ______________

इकाई ______________

क्रमांक	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	कक्षा	वर्ग/जाति	अल्फान्यूमेरिक कोड	आधार नं०	मो० नं०

ह० प्राचार्य/प्राचार्या
सील

ह० कार्यक्रमाधिकारी, रा.से.यो.
सील

प्रारूप – 3

वित्तीय वर्ष 20___–20___ में राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम की कार्ययोजना:

महाविद्यालय का नाम_____

इकाई_____

छात्र संख्या :

अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती का नाम एवं महाविद्यालय से दूरी:

क्रमांक	दिनांक	छात्र/छात्रा संख्या	कार्य के घंटे	स्थान	कार्यक्रम का नाम

ह0 प्राचार्य/प्राचार्या
सील

ह0 कार्यक्रमाधिकारी, रा.से.यो.
सील

प्रारूप–4

नियमित कार्यक्रम में पंजीकृत किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना_____

महाविद्यालय का नाम :_____

सत्र 2017–18 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत छात्रों का विवरण (इकाईवार)– सामान्य कार्यक्रम

महाविद्यालय में प्रविष्ट किये गये कुल छात्र/छात्राओं की संख्या (केवल B.A./B.Sc./B.Com. भाग (1, 2 व 3)						शासन द्वारा NSS में सामान्य कार्यक्रम के लिए आबंटित छात्र सं0	वास्तविक रूप से पंजीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या			
1							2	छात्र	छात्रा	योग
	B.A.	B.Sc.	B.Com.	B.Sc. Ag.	योग					
Part-I							सामान्य जाति			
Part-II							पिछड़ी जाति			
Part-III							अनु. जाति			
							अनु.ज. जाति			
योग							योग			

ह0प्राचार्य/प्राचार्या

ह0 कार्यक्रमाधिकारी, रा.से.यो.

पत्रांक सं0 : रा.से.यो./ /20 दिनांक..........

1. महाविद्यालय/संस्था का नाम..........

पता.......... पिन कोड..........

2. नियमित शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या..........

3. विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्था स्तर पर पंजीकृत छात्र संख्या (इकाईवार)

पुरुष..........

महिला..........

योग..........

गत वित्तीय वर्ष 31.03.20....को अव्ययित शेष धनराशि रु0..........

अन्य स्रोत से आय रु0..........

4. विश्वविद्यालय/मण्डल/जोन से वर्ष 20 – 20 में प्राप्त धनराशि चेक संख्या व दिनांक सहित

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि

योग रु0..........

5. व्यय हेतु कुल उपलब्ध धनराशि (5+6+7) रु0..........

6. (क) विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्था पर नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण
(राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई का पृथक–पृथक व्यय का विवरण भी निम्न प्रारूप में संलग्न किया जाय।)

1. अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी का पाकेट एलाउन्स रु0..........
2. अंशकालिक लिपिक का मानदेय रु0..........
3. अंशकालिक चपरासी का मानदेय रु0..........
4. स्टेशनरी, डाक व्यय एवं रिपोर्टिंग व्यय रु0..........
5. यात्रा व्यय रु0..........
6. आवश्यक उपकरणों का क्रय रु0..........
7. सामान्य कार्यक्रमों के संचालन व्यय रु0..........
(अन्य यथा जागरूकता कार्यक्रम/साक्षरता एवं जनसंख्या नियंत्रण/रक्तदान शिविर/जागरूकता रैलियां/ युवा सप्ताह/राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस आदि का कार्यक्रम)
8. अन्य व्यय मदवार अंकित किया जाय रु0..........

कुल योग रु0..........

8.(ख) नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती में आयोजित कार्यक्रमों व्यय धनराशि का विवरण:

क्र0सं0	नियमित कार्यक्रमों/एक दिवसीय शिविर आयोजन का स्थल	तिथि	प्रतिभागियों की संख्या			जलपान आदि का व्यय की गई धनराशि
			पुरुष	महिला	योग	
1						
2						
3						
4						
5						

वित्तीय वर्ष की कुल व्यय धनराशि 8 (क/ख) रु0..........

7. 31 मार्च, 20 को अव्ययित शेष धनराशि रु0..........

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करते है कि मैनें शासन के निर्धारित मानक के अनुरूप ही व्यय कर उपर्युक्त व्यय विवरण प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया सत्य है।

कार्यक्रम अधिकारी का नाम (इकाईवार)
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्राचार्य का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रतिहस्ताक्षर
....

कुलसचिव का नाम व हस्ताक्षर
(विश्वविद्यालय परिसर की रा.से.यो. इकाइयों हेतु)

प्रारूप – 8

पत्रांक संख्या : रा.से.यो./ /20 दिनांक..............

1. महाविद्यालय/संस्था का नाम..

पता..पिन कोड.................

2. विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या..........................

3. सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेने वाले स्वयं सेवियों की संख्या (इकाईवार)

पुरुष..........................

महिला..........................

योग..........................

4. गत वित्तिय वर्ष 31.03.20 को अव्ययित शेष धनराशि रू0..........................

5. अन्य स्रोत से आय रू0..........................

6. वर्ष 20 –20 में विश्वविद्यालय से प्राप्त धनराशि

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि

कुल योग रू0 ....

8. व्यय हेतु कुल उपलब्ध धनराशि (5+6+7) रू0..........................

सात दिवसीय विशेष शिविरकार्यक्रमों का विवरण

क्र0सं0	राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का क्रमांक	शिविर स्थल का नाम	शिविर आयोजन की तिथियाँ	शासन को शिविर आयोजन की सूचना प्रेषित करने की तिथि	विशेष शिविर में भाग लेने वाले स्वयं–सेवियों की संख्या			शिविर आयोजन पर व्यय की गई धनराशि	कुल योग
					पुरुष	महिला	योग		

8. 31 मार्च, 20 को अव्ययित शेष धनराशि रू0..........................हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करते है कि मैंने शासन के निर्धारित मानक के अनुरुप ही व्यय कर उपर्युक्त व्यय विवरण प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया सत्य है।

कार्यक्रम अधिकारी का नाम (इकाईवार)
हस्ताक्षर एवं मुहर
कुलसचिव का नाम व हस्ताक्षर
(विश्वविद्यालय परिसर की रा.से.यो. इकाईयों हेतु)

प्राचार्य का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रतिहस्ताक्षर

प्रारूप – 7

अभिग्रहीत ग्राम/बस्ती सर्वेक्षण प्रपत्र

1 ग्राम/बस्ती का नाम_____

पो0_____ जनपद_____

2 परिवार के मुखिया का नाम_____आयु_____

3 परिवार में सदस्यों की संख्या : कुल_____पुरूष_____महिला_____

4 परिवार की आर्थिक दशा के आधार पर वर्गीकरण। निम्न/सामान्य/मध्यम/उच्च आय वर्ग

5 परिवार की आय के साधन : नौकरी ☐ व्यवसाय ☐ कृषि ☐ दैनिक मजदूरी ☐ अन्य ☐

6 साक्षरता की स्थिति : प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त : _____

माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त : _____

उच्च शिक्षा : _____

निरक्षर : _____

7 निरक्षरों का विवरण बालक की संख्या व आयु : _____

बालिकाओं की संख्या व आयु : _____

पुरूषों की संख्या व आयु : _____

महिलाओं की संख्या व आयु : _____

8 मतदाता पंजीकरण की स्थिति : क्या 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी सदस्य मतदाता है? हाँ☐ नही☐

9 सम्बंधित ग्राम की अवस्थापना सुविधायें :

(क) शिक्षा

1. प्राइमरी स्कूल
2. जूनियर हाईस्कूल
3. हाईस्कूल
4. डिग्री कालेज
5. तकनीकी शिक्षा

(ख) उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधिओं का विवरण : राजकीय चिकित्सालय ☐ निजी चिकित्सक ☐ अन्य ☐

(ग) पशुपालन सुविधायें : चिकित्सालय ☐ डॉक्टर ☐ अन्य पशु प्रजनन केन्द्र ☐ कृषि सेवा केन्द्र ☐

(घ) यातायात सुविधायें : सम्पर्क मार्ग ☐ राजमार्ग ☐ अन्य ☐

(ड़) बाजार : ग्राम में ☐ अन्यत्र ☐

1 सांस्कृतिक विशिष्टतायें : (क) बोली जाने वाली सामान्य भाषा : _____

0 (ख) धार्मिक स्थल : _____

(ग) प्रमुख स्थानीय पर्व : _____

(घ) ऐतिहासिक महत्व के स्थल (यदि हो) : _____

1 गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के सम्बन्ध में सूचना –

1 (क) कुल परिवार _____

(ख)प्राप्त होने वाल सरकारी सुविधाओं की स्थिति_____

1 विकलांग, असहाय, वृद्ध अथवा निराश्रित महिलाओं का विवरण –

2 पुरूष_____

महिला_____

प्राप्त सरकारी अन्य सहायता का विवरण_____

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार
विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर
कार्यक्रमाधिकारी–राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु प्रपत्र

प्रारूप – 8

1 कार्यक्रम अधिकारी का नाम _____
(साफ अक्षरों में)

2 महाविद्यालय/संस्था का नाम एवं पता_____
(साफ अक्षरों में)

3 प्राचार्य/प्राचार्या का नाम_____

4 विश्वविद्यालय/मण्डल का नाम_____

5 राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सेवा की अवधि : _____से_____तक

6 क्या टी0ओ0सी0/टी0ओ0आर0सी0/ई0टी0आई0 से प्रशिक्षित है ? हाँ ☐ नहीं ☐

7 राष्ट्रीय सेवा योजना एकक के स्थापित होने की अवधि : _____

8 विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों का वास्तविक नामांकन और आवंटन :

वर्ष	आवंटन	वास्तविक नामांकन
1		
2		
3		

9 विशेष शिविर लक्ष्य (विगत तीन वर्षों के दौरान):

वर्ष	आवंटन	वास्तविक नामांकन
1		
2		
3		

10 अपनाये गये गाँव/गन्दी बस्ती का नाम : _____

11 विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियाँ : _____
(तथ्यात्मक ब्यौरे अलग कागज पर दें)

12 क्या कार्यक्रम अधिकारी को किसी : _____
न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, _____
अथवा उसके विरूद्ध कोई मामला लम्बित है।

13 अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ब्यौरा यदि : _____
कोई हो।(कृपया अलग कागज पर ब्यौरा : _____
दें)

दिनांक

हस्ताक्षर_____
मोहर_____
कार्यक्रम अधिकारी–रा.से.यो.

नोट करें–
1. कार्यक्रम अधिकारी के आवेदन को महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा संस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. जहाँ तक सम्भव हो कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स, न्यूजपेपर की कटिंग भी संलग्न करें।
3. प्रस्ताव 50 पेज से अधिक के न हों।

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार
स्वयंसेवक – राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु प्रपत्र

प्रारूप – 9

1 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक का नाम _____
(साफ अक्षरों में)

2 महाविद्यालय/संस्था का नाम एवं पता_____
(साफ अक्षरों में)

3 प्राचार्य/प्राचार्या का नाम_____

4 पुरूष/महिला_____

5 स्वयंसेवक का दूरभाष सहित_____

पूरा पता_____

6 स्वयं सेवकों के तौर पर पूरे किये गये घंटे_____

7 स्वयंसेवक के रूप में कार्य–अवधि_____से_____

8 कितने विशेष शिविर में भाग लिया : _____

9 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में सहभागिता_____
(विवरण सहित) _____

10 स्वयंसेवक के द्वारा किया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन :

(सम्पूर्ण तथ्यात्मक ब्यौरों सहित अलग कागजात संलग्न करें।)

- उत्कृष्ट कार्यों के अन्तर्गत – लगाये गये वृक्षों की संख्या, रक्तदान, नेत्रदान (शपथ), गरीबों हेतु बनाई गई स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में सहयोग, आपदा के समय एकत्र की गई सहायता, असहाय लोगों की सहायता में योगदान, साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या आदि प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं।

11 क्या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है अथवा उसके विरूद्ध कोई मामला लम्बित है?

स्वयंसेवक के हस्ताक्षर

नोट करें–
1. स्वयंसेवक के प्रपत्र को उसी इकाई के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य/प्राचार्या के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
2. समस्त कालमों को भरा जाना आवश्यक है। यदि सूचना शून्य हो तो उसके सामने 'शून्य' अंकित किया जाना चाहिये।
3. कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जितने भी प्रमाणित ब्यौरे हो सकें, कृपया संलग्न करें।
4. जहाँ तक सम्भव हो कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स, न्यूजपेपर की कटिंग भी संलग्न करें।

प्रेरक पत्र

अब्राहम लिंकन का पत्र अपने बेटे के शिक्षक को

अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिखा था। वह आज भी प्रासंगिक है–

"मैं जानता हूँ कि उसे सीखना है कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते। लेकिन उसे यह भी सिखायें कि जहाँ एक बदमाश होता है, वहाँ एक नायक होता है। यह भी कि हर स्वार्थी नेतृत्व के जवाब में एक समर्पित नेतृत्व होता है। उसे बताइए कि जहाँ एक दुश्मन होता है, वहीं एक दोस्त भी होता है।

हो सके तो उसे ईर्ष्या से बाहर निकालें उसे खामोश हँसी का रहस्य बतायें। उसे जल्दी यह सीखने दें कि गुण्डई करने वाले बहुत जल्दी चरण स्पर्श करते हैं। अगर पढ़ा सकें तो उसे किताबों के आश्चर्य के बारे में पढ़ायें। लेकिन उसे इतना समय जरूर दें कि वह आसमान में उड़ती चिड़िया, धूप में उड़ती मधुमक्खियाँ और हरे पर्वतों पर खिले फूलों के रहस्य के बारे में सोच सके। उसे यह भी सिखायें कि नकल करने से कहीं ज्यादा सम्मानजनक है फेल हो जाना। उसे अपने विचारों में विश्वास करना सिखायें। तब भी जब उसे सब गलत बता रहे हों। उसे विनम्र लोगों से विनम्र रहना और कठोर लोगों से कठोर व्यवहार करना सिखायें। उसे सिखायें कि वह सबकी सुने, लेकिन वह जो कुछ सुने, उसे सच्चाई की छलनी पर छानने के बाद जो अच्छी चीज बचे वहीं ग्रहण करना चाहिए।

उसे सिखायें कि जब वह दुखी हो, तो कैसे हँसे और बताएँ कि आँसू आना कोई शर्म की बात नहीं है। उसे सिखायें कि निन्दकों का कैसे मजाक उड़ाया जाय और ज्यादा मिठास से कैसे सावधान रहा जाय। अपने बल और बुद्धि को ऊँचे दाम पर बेचना सिखाएँ लेकिन वह अपने हृदय और आत्मा को किसी कीमत पर न बेचे। उसे सिखायें कि वह चीखती भीड़ के आगे अपने कान बन्द कर ले और अगर वह अपने को सही समझता है तो जम कर लड़े। आप उससे विनम्रता से पेश आएँ, पर उसे छाती से न लगाए रहें, क्योंकि आग में तप कर ही लोहा मजबूत होता है। उसमें साहस आने दें। उसे अधीर न बनने दें, उसे बहादुर बनने का धैर्य आने दें। उसे सिखायें कि वह अपने में गहरा विश्वास रखे तभी वह मानव जाति में गहरा विश्वास रखेगा। निःसंदेह यह एक बड़ी फरमाइश है, पर देखिए आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा बेटा है।"

–अब्राहम लिंकन

प्रेरक कविता

यदि

यदि तुम स्थिर रख सको अपना विवेक
जब आसपास सभी खो रहे हों उसे
और दोष दे रहे हो इसके लिये भी तुम्हें,
यदि तुम रख सको भरोसा अपने ऊपर
जब सभी जन सन्देह कर रहे हो तुम पर,
किन्तु ध्यान रखो उनकी इस संदेहशीलता का भी।
यदि तुम प्रतीक्षा कर सको
और थको नहीं इस प्रतीक्षा करने से। या
जब झूठ बोला जा रहा हो तुम्हे लेकर,
पर तुम झूठ का व्यवहार न करो
या घृणा की जा रही हो तुम से,
पर तुम झुको नहीं घृणा के सामने,
फिर भी अपने को कुछ ज्यादा अच्छा कर के नहीं जतलाओं
ने अपने को कुछ ज्यादा अच्छा करके बताओ।
यदि तुम स्वप्न देख सको,
और सपनों को अपने ऊपर अधिकार न जमाने दो, या विचार कर सको
और विचारों को अपना लक्ष्य न बन जाने दो,
यदि तुम्हारी भेंट हो विजय और विपत्ति से,
और इन दोनों घुसपैठियों को तुम एक जैसा समझो।
यदि तुम अपने कहे सत्य के बारे में सहन कर सको
सुनना, कि बेइमानों ने तोड़ मरोड़ कर बनाया है।
उसे मूर्खा के लिये फन्दा
या देख सको उन चीजों को टूटते हुये
जिनको समर्पित किया है तुमने अपना जीवन,
और विनीत होकर निर्माण कर सको,
फिर से उन का घिसे हुये उपकरणों से।
यदि तुम एक ढेरी बना सको

अपनी सारी की सारी जीतों की,
और फिर गुच्ची के खेल की एक बाजी के लिये
उसे लगा दो दांव पर, और हार जाओ वह दांव
और अपनी शुरुआत फिर से करो प्रारम्भ से,
और जो कुछ हारा है उसके बारे में,
मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो।
यदि तुम बाध्य कर सको अपने दिल, नस और स्नायुको,
कि वे उपयोगी बने रहें, अपने न रहने के बाद भी,
और यूँ लगे रहो तब भी,
जब तुम्हारे भीतर कुछ भी शेष न रहा हो,
सिवा संकल्प बल के,
जो उनसे कहता है--"डटे रहो" ।
यदि तुम भीड़ों के साथ संवाद कर सको,
फिर भी बचाये रखो अपनी अनन्यता,
या बादशाहों के साथ विचार कर सको,
फिर भी गंवाओ नहीं अपनी सामान्यता।
यदि न शत्रु और नहीं प्रिय मित्र पहुँचा सकें तुम्हें चोट,
यदि सभी मनुष्य हों तुम्हारे लिये महत्वपूर्ण,
किन्तु बहुत अधिक कोई नहीं।
यदि तुम कभी क्षमा न करने वाले मिनट को,
दौड़ा सको आठ सेकेण्डों की पूरी दूरी तक,
तो तुम्हारी है यह धरती,
और वह सब जो इसके भीतर है,
और इससे भी बड़ी बात है
तुम, एक मनुष्य बनोगे मेरे बेटे ।।

रूडयार्ड किपलिंग की कविता IF से अनुदित